न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या– 130/2014–15 अन्तर्गत धारा–333जमीं0वि0एवं भू0व्य0अधि0

ओमकारनाथ अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री बिहारीलाल निवासी 4ई–इन्दर रोड (प्रीतम़ रोड) देहरादून।

बनाम

1– बलबीर सिंह पुत्र आशाराम, 2. बालम सिंह पुत्र फूल सिंह, 3. करम सिंह पुत्र फूल सिंह, 4. श्री कुन्दनसिंह पुत्र अवतार सिंह, 5. दौलत पुत्र धानी, 6. रणदेव पुत्र शिव सिंह, सभी निवासी ग्राम शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जिला देहरादून, 7. उत्तराखण्ड सरकार द्वारा कलेक्टर देहरादून, 8. ग्राम सभा शेरपुर द्वारा ग्राम प्रधान।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता : श्री टी0एस0 बिन्द्रा।

अधिवक्ता प्रतिपक्षीगण : श्री प्रेमचन्द शर्मा।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता उपरोक्त ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर द्वारा वाद संख्या–22/2005–06 बलबीर सिंह बनाम बालम सिंह आदि अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 में पारित निर्णयादेश दिनांक 21–02–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य यह है किः–

उत्तरदाता संख्या–1/वादी बलबीर सिंह ने वादग्रस्त भूमि खसरा नं0–1721 क्षेत्रफल–0.0400 हे0 खसरा नं0 1722 क्षेत्रफल 0.1250 हे0, खसरा नं0 1723 क्षेत्रफल 0.1500 हे0 एवं खसरा नं01724 क्षेत्रफल 0.4730 हे0 कुल क्षेत्रफल 0.7880 हे0 स्थित मौजा शेरपुर परगना पछवादून तहसील विकासनगर जनपद देहरादून के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी विकासनगर के समक्ष दिनांक 16–01–2006 को उत्तरदाता संख्या–2, 3, 4, 5, 6, 7, व 8 /प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आधार पर प्रस्तुत किया कि वादी वादग्रस्त भूमि पर उसके मूल खातेदार की इच्छा के विरूद्ध एवं उनकी जानकारी में लगातार पिछले 20 साल से काबिज चला आ रहा है तथा मूल खातेदारों ने निर्धारित अवधि के अन्दर वादी को किसी सक्षम न्यायालय में धारा–210 ज0वि0अधि0 के अन्तर्गत वाद योजित कर बेदखली नही कराया है, कि मूल खातेदार ने अवैध रूप से वादी को क्षति पंहुचाने के उद्देश्य से विवादित भूमि अपनी जाति के बाहर एक अन्य व्यक्ति को अवैध रूप से विक्रय किया जिस पर परगनाधिकारी, विकासनगर के न्यायालय में

वाद संख्या–02/12–13 सरकार बनाम बालम सिंह अन्तर्गत धारा–166/167 जमींदारी विनाश अधिनियम की कार्यवाही चलाई गई तथा उसमें दिनांक 08–09–2003 को एकतरफा आदेश पारित कर भूमि राज्य सरकार के नाम दर्ज की गई, कि जैसे ही वादी को इस अवैध कार्यवाही का ज्ञान हुआ तो उसने एक कार्यवाही पुनर्जीवन प्रार्थना पत्र दिनांक 12–05–2005 को परगनाधिकारी, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जो दिनांक 14–09–2005 को निरस्त किया गया जिसके विरूद्ध न्यायालय आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी में निगरानी योजित की जिसमें अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 08–09–2003 का प्रभाव स्थगित रखा गया है एवं कि तद्नुसार प्रार्थना की कि वादी को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित किया जाय।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, विकासनगर ने पक्षकारों को विधिवत सुनने के उपरान्त निर्णयादेश दिनांक 21–02–2014 से वादी का वाद स्वीकार कर उसे वादग्रस्त भूमि का संक्रमणीय भूमिधर घोषित किया।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी एवं अभिलेखों का भलीभांति अवलोकन किया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विवादित भूमि के सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा एक वाद संख्या–19/2004–05 ओमकारनाथ बनाम बालम सिंह आदि अन्तर्गत धारा–229बी जं0वि0अधि0 सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के समक्ष योजित किया गया जो अभी विचाराधीन है, कि उत्तरदाता बलबीर सिंह ने एक वाद इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रतिकूल अध्यासन के आधार पर स्वयं को भूमिधरी घोषित किये जाने के सम्बन्ध में दिनांक 16–01–2006 को सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसमें जानबूझकर निगरानीकर्ता को पक्षकार नही बनाया गया जबकि बलबीर सिंह को पूर्ण जानकारी थी कि निगरानीकर्ता विवादित भूमि का भूमिधर एवं काबिज है, कि निगरानीकर्ता के पक्ष में मूल भूमिधर द्वारा विक्रय पत्र वाद योजित करने से पहले निष्पादित कर दिया गया था, कि मूल भूमिधर बालम सिंह ने भी उक्त निर्णयादेश के विरूद्ध एक अपील अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे इस आधार पर विद्वान अपर आयुक्त ने अपने निर्णयादेश दिनांक 31–07–2015 से निरस्त किया कि इस न्यायालय में उभयपक्षों के मध्य निगरानी विचाराधीन है, कि प्रथम अपील के विचाराधीन रहते हुए उत्तरदाता बलबीर सिंह द्वारा प्रश्नगत भूमि का अधिग्रहण होने के पश्चात स्वीकृत प्रतिकर अनुचित एवं अवैधानिक रूप से प्राप्त कर लिया गया है जबकि वादग्रस्त भूमि धारा–166/167 जं0वि0अधि0 के अन्तर्गत पूर्व में राज्य सरकार में निहित कर दी गई थी। तद्नुसार विद्वान अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णयादेश अपास्त किये जाने की प्रार्थना की। उत्तरदाता संख्या–1 के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि आलोच्य वाद में उन्हीं व्यक्तियों को पक्षकार बनाया गया है जिनका नाम खतौनी की संगत स्तम्भ में अंकित था तद्नुसार यह निगरानी पोषणीय नही है क्योंकि निगरानीकर्ता मूल वाद में पक्षकार ही नही था, कि कथित बैनामा एक अनुसूचित

जनजाति के व्यक्ति से कराया गया था जिसे निरस्त कराया गया, कि उत्तरदाता का वर्ष 2006 से 20 साल पूर्व से विवादित भूमि पर प्रतिकूल अध्यासन रहा है एवं वह स्वयं अनुसूचित जनजाति श्रेणी का व्यक्ति है तद्नुसार परीक्षण न्यायालय ने वाद की कार्यवाही विधिवत सुनकर गुण–दोष के आधार पर उत्तरदाता संख्या–1 के पक्ष में आज्ञप्त किया है तद्नुसार निगरानी बलहीन है जिसे निरस्त किया जाय।

निगरानीकर्ता आलोच्य वाद में पक्षकार नही था। उसका कथन है कि उसे जानबूझकर पक्षकार नही बनाया गया जबकि वादी पक्ष को उसके प्रश्नगत भूमि में निहित हित का पूर्ण ज्ञान था। निगरानीकर्ता ने परीक्षण न्यायालय में आक्षेपित निर्णयादेश को स्वयं को पक्षकार बनाकर वाद में सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने हेतु अपास्त किये जाने की प्रार्थना नही की गई है एवं उसके द्वारा सीधे उक्त विधिक उपचार का मार्ग अपनाये बिना यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं। निगरानीकर्ता को पक्षकार बनाये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय में आक्षेपित निर्णयादेश को अपास्त कराये जाने एवं वाद में प्रतिभाग हेतु अनुमति प्राप्त करने का अवसर उपलब्ध था जिसका उसने उपयोग नही किया है। तद्नुसार मेरी राय में वर्तमान निगरानी अपरिपक्व है । निगरानीकर्ता अभी भी आलोच्य वाद में स्वयं को पक्षकार बनाये जाने, आक्षेपित निर्णयादेश को अपास्त करवाकर वाद में प्रतिभाग करने हेतु विधिवत आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है।

जंहा तक निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित न्यायिक व्यवस्था 2013(1) यू0ए0डी0 324 हरविन्दर सिंह बनाम परमजीत सिंह व अन्य मा0 सवोच्च न्यायालय, कि " व्यक्ति जो वाद में पार्टी नही अपीलीय अदालत की अनुमति से अपील कर सकता है जो कि तभी स्वीकार्य जबकि वह व्यक्ति आदेश से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो" का प्रश्न है निगरानीकर्ता ने अपीलीय उपचार का मार्ग नही अपनाया है वरन् उसने सीधे–सीधे यह निगरानी प्रस्तुत की हैं। वह उक्त न्यायिक व्यवस्था के अनुसार अपील योजित करने के लिए स्वतंत्र था जो कि उसके द्वारा नही किया गया है। निगरानी का उपचार धारा–333 जं0वि0अधि0 में उल्लिखित उपबन्धों तक सीमित है एवं प्रथम दृष्टया निगरानीकर्ता के मूल वाद में पक्षकार न होने की स्थिति में विद्वान सहायक कलेक्टर ने सम्बन्धित पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अपने–अपने पक्ष के आधार पर वाद आज्ञप्त किया गया है जिसमें सम्बन्धित क्षेत्राधिकार का प्रयोग न किये जाने, क्षेत्राधिकार का अधिक प्रयोग किये जाने अथवा कोई अवैधानिकता अथवा तात्विक अनियमितता का बिन्दु नही इंगित किया गया है। अतः यह निगरानी पोषणीय नही है। एक अन्य तथ्य यह महत्वपूर्ण है कि निगरानीकर्ता अभी भी प्रथम अपील योजित करने के लिए स्वतंत्र है अर्थात् उसके समक्ष मूल वाद को पुनर्स्थापित कराने एवं प्रथम अपील उक्त न्यायिक व्यवस्था के आलोक में योजित करने का विकल्प खुला है। वैसे उसके स्वयं के कथन के अनुसार उसके द्वारा आक्षेपित निर्णयादेश के विरूद्ध पूर्व से लम्बित एवं अब निस्तारित एक

अन्य अपील में पक्षकार बनने की प्रार्थना की है जिसका वह अनुसरण कर सकता है। अतः उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के दृष्टिगत निगरानी अस्वीकारणीय है।

आदेश

निगरानी अस्वीकार की जाती है। अवर न्यायालयों की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 06–10–2016 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)